


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भँवरलाल बनाम सावित्री देवी 281 / 17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/12/17	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट उक्त उनवानी अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा उक्त अपील को अपीलान्ट विद्धो करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त उनवानी अपील को विद्धो फरमाया जावे।</p> <p>अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने भी अपील विद्धो हेतु अपनी सहमति दी है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट विद्धो/खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा बाद तकमील पत्रावली जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त जयपुरपुर </p>	